राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर

आदेश

एकलपीठ दाण्डिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-५५९८/०६

आमीन व मौज खां बनाम राजस्थान राज्य

दिनांक:२१.११.२००६

माननीय न्यायाधिपति श्री जितेन्द्र राय गोयल

श्री एम इकबाल खान, अधिवक्ता अभियुक्त- प्रार्थीगण की ओर से
श्री आर पी कुलदीप, विद्वान लोक अभियोजक वास्ते राज्य
श्री राहुल तिवारी, अधिवक्ता- अभियोगी की ओर से

अभियुक्त - प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत इस अग्रिम जमानत के प्रार्थना पत्र पर पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी तथा दौरान बहस प्रस्तुत की गयी सामग्री / केस डायरी का अवलोकन किया गया।

अधिवक्ता अभियुक्त- प्रार्थीगण इस प्रक्रम पर इस अग्रिम जमानत के प्रार्थना पत्र पर गुणावगुण पर बल नहीं देते हैं तथा कथन करते हैं कि अभियुक्त- प्रार्थीगण स्वयं को सम्बन्धित न्यायालय के समक्ष समर्पित करने के लिए तत्पर है।

ऐसी स्थिति में अभियुक्त- प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र इस प्रक्रम पर गुणावगुण पर बल नहीं दिये जाने के कारण खारिज किया जाता है।

अभियुक्त- प्रार्थीगण स्वयं को सम्बन्धित न्यायालय के समक्ष समर्पित करने के लिए स्वतंत्र है।

यदि अभियुक्त- प्रार्थीगण आमीन व मौज खां द्वारा दिनांक २७.११.२००६ या उससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस को प्रात: ११ बजे से पूर्व स्वयं को समर्पित कर जमानत का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जावे तो सम्बन्धित न्यायालय, प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र पर विधि सम्मत ढंग से विचार कर यथा सम्भव उसका उसी दिन निस्तारण कर देंवे।

दिनांक २७.११.२००६ या समर्पण की तिथि जो भी पूर्व हो तक अभियुक्त-प्रार्थीगण आमीन व मौज खां को इस मामले में गिरफ्तार नहीं किया जावे।

(**न्या० जितेन्द्र राय गोयल**)